इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 जनवरी 2015—माघ 3, शक 1936

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2015

क्र. एफ-16-1-2015-बाईस-पं.-2.—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1, सन् 1994) की धारा 43 के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित रूप से पहले ही प्रकाशित किये जा चुके हैं, मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 में नीचे उल्लेखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

(1) नियम 77 में, उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम, स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(2) किसी मतदान केन्द्र के लिए मतों की गणना पूरी हो जाने के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी, पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए क्रमशः प्ररूप 16, 17, 18 एवं 19 में परिणाम-पत्र के भाग एक में प्रविष्टियां करेगा और प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त कुल मतों की संख्या आख्यापित करेगा.".

(2) नियम 80 में, उपनियम (8) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम, स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(8) उपनियम (7) से अधीन परिणाम-पत्र प्राप्त होने पर रिटर्निंग आफिसर पंच, सरपंच, जनपद पंचायत के सदस्य या जिला पंचायत के सदस्य के किसी स्थान के लिए निर्वाचन लड़ रहे प्रत्येक अभ्यर्थी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केन्द्र में प्राप्त मतों की कुल संख्या की प्रविष्टि क्रमशः प्ररूप 16, 17, 18 एवं 19 के पश्चातवर्ती भाग अथवा भागों में करेगा या करवाएगा और परिणाम-पत्र को पूर्ण करते हुए हस्ताक्षर करेगा.".

(3) प्ररूप 16 में,—

(एक) शब्द "पंचायत निर्वाचन" के स्थान पर शब्द "पंचायत निर्वाचन भाग-एक" स्थापित किया जाए, और

(दो) वर्तमान प्ररूप 16 के नीचे निम्नलिखित नवीन प्ररूप अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"प्ररूप—16
[नियम 77(2) देखिए]

पंचायत निर्वाचन
भाग-दो
खण्ड स्तरीय.

ग्राम पंचायत .... के वार्ड क्रमांक .... से पंच के निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम.
सम्मिलित मतदान केन्द्रों की कुल संख्या .... खण्ड ....

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या					योग
		मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या ....
(ख) प्रतिक्षेपित (खारिज) मतों की कुल संख्या ....
(ग) डाले गये मतों की कुल संख्या ....

मतगणना का स्थान ....
तारीख ....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)/
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या					योग
		मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या . . . .

(ख) प्रतिक्षेपित (खारिज) मतों की कुल संख्या . . . .

(ग) डाले गये मतों की कुल संख्या . . . .

मतगणना का स्थान . . . .

तारीख . . . .

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)/
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.

No. F-16-1-2015-XXII-P-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 in read with Section 43 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) the State Government hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Panchayat Nirvachan Niyam, 1995, the same having been previously published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said act namely:—

AMENDMENTS

In the said rules the following amendments is made—

(1) In rule 77, for sub-rule (2) the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(2) After the counting of votes in respect of a polling station has been completed, the Returning Officer or such other officer authorized by him shall make the entries in part-one of form 16, 17, 18 and 19 of the ruselt sheet for Panch, Sarpanch, members of Janpad Panchayat and Zila Panchayat respectively and announce the total number or votes polled by each candidate.";

(2) In rule 80, for sub-rule (8) the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(8) The Returning Officer, on receipt of result sheets under sub-rule (7) shall enter or cause to be entered the total number of votes polled by each candidate contesting for a seat of Panch, Sarpanch, member of Janpad Panchayat or member of Zila Panchayat at each polling station of the concerned constituency in subsequent part or parts of form 16, 17, 18 and 19 respectively and complete and sign the result sheet.";

(3) In Form 16,—

(i) for the words "Panchayat Nirvachan" the words "Panchayat Nirvachan PART-ONE shall be substituted; and

(ii) below existing Form 16, the following new Form shall be inserted, namely:—

"FORM—16
[See Rule 77(2)]

Panchayat Nirvachan
PART-TWO
BLOCK LEVEL

Result of counting of votes for election of Panch Ward No. . . . . of Gram Panchayat . . . . Total Number of Polling stations included . . . . Block . . . .

Serial No.	Name of Candidate	Valid Votes Casted in Favour of Candidate					Total
		Polling Station Number	Polling Station Number	Polling Station Number	Polling Station Number	Polling Station Number	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

(a) Total No. of valid Votes . . . .

(b) Total No. of Rejected Votes . . . .

(c) Total No. of Votes Polled . . . .

Place of Counting . . . .
Date . . . .

Returning Officer (Panchayat)/
Officer authorized by Returning
Officer (Panchayat).

In Case of dearth of space, back page may be used

Serial No.	Name of Candidate	Valid Votes Casted in Favour of Candidate					Total
		Polling Station Number	Polling Station Number	Polling Station Number	Polling Station Number	Polling Station Number	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

(a) Total No. of valid Votes . . . .

(b) Total No. of Rejected Votes . . . .

(c) Total No. of Votes Polled . . . .

Place of Counting . . . .
Date . . . .

Returning Officer (Panchayat)/
Officer authorized by Returning
Officer (Panchayat).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. चौधरी, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.